भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393] No. 393] दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2017/कार्तिक 16, 1939

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 309

DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2017/KARTIKA 16, 1939

[N.C.T.D. No. 309

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 नवम्बर, 2017

सं. 25 / 2017 राज्य कर (दर)

सं. फा. 3 (37)/वित्त/(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/704.— दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतदद्वारा दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं. 12/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं0फा0 03/(15) /वित्त/(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/380, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग IV में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते है; यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या **81** और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा,यथा-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82	अध्याय 9996	फीफा अंडर -17 विश्व कप 2017 के तहत		कुछ नहीं".
		आयोजित होने वाले आयोजनों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं		

यह अधिसूचना दिनांक 21 सितंबर, 2017 से प्रभावी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, ए० के० सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

6568 DG/2017 (1)

नोट:- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 के माध्यम से जिसे सं0फा0 03(15)/वित्त/(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/380, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार सं0फा0 03(27)/वित्त/(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/586, दिनांक 6 सितंबर, 2017 के माध्यम से अधिसूचना सं. 21/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 6 सितंबर, 2017, के द्वारा संशोधन किया गया है।

F INANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th November, 2017 No. 25/2017. State Tax (Rate)

No. F. 3 (37)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/704.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/380 dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 81 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82	Chapter 9996	Services by way of right to admission to the events organised under FIFA U-17 World Cup 2017.	Nil	Nil".

This notification shall come into force with effect from the 21st day of September, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note:-The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 - State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, *vide* number F3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/380 dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification no 21/2017 - State Tax (Rate) dated the 6th September, 2017 *vide* number F3 (27)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/586 dated the 6th September, 2017.